

13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एन/22/कर्मिक/ए-8/2006 दिनांक 08.07.2010 एवं कर्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.08.2010 के अनुसार वैवाहिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा ऊक्त नियमों के अन्तर्गत कर्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स क्लेजिंग करने की अवधि नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में प्रशिक्षित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता प्रशिक्षण नहीं करता है, तो जिसकी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता प्रशिक्षण करेगा उसका परीक्षाकाल उत्तरी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कर्मिक विभाग से जॉर्ज आदेश द्वारा विभाग को स्थानांतरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुमति नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अथवा कर्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.07.2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ही जायेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर देये जायेंगे। इन्हें आभाषी पैनल वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कर्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।
15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करने तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
17. माध्यमिक शिक्षा सेंटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
18. कर्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक प.5 (51) कर्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
19. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभाषी की आवश्यकता नहीं रहे।
20. राज्य सरकार के आदेशानुसार भ्रष्टाचार नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ-पत्र लेवे।
21. जिन प्रकरणों में कर्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावे।
22. जिन प्रकरणों में शिथिलन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कर्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिथिलन आदेश में वर्णित शर्तों एवं कर्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कर्मिक विभाग के पत्र में वर्णित शर्तों की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
23. विधवा आवेदक के प्रकरणों में यदि पति की जाति जोड़कर आवेदन किया गया है तो नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व अपने स्तर पर नाम विसंगति के सदर्भ में पूर्ण पुष्टि करते हुए पुष्टि होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें तथा विवाहित आवेदक के संबंध में नियम-5 का जिराज का प्रमाण पत्र, आवेदक का शपथ पत्र एवं आवेदक की पत्नी का नियम-5 का शपथ पत्र प्राप्त करें। अविवाहित आवेदक के सदर्भ में वैवाहिक स्थिति का अद्यतन शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें। यदि वैवाहिक स्थिति में अंतर है तो आवेदक के आश्रितों के संबंध में नियम-5 के समस्त दस्तावेज (आवेदक व आवेदक की पत्नी का शपथ पत्र, आवेदक के आश्रित परिवार के संबंध में जिराज का प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.08.07 17:29:59 IST Page 2 of 5

Reason: Approver



24. आवेदक की जन्मतिथि के संबंध में नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर प्रथमतः शैक्षणिक योग्यता/दीर्घा (सक्षम स्तर से प्रमाणित) एवं केवल, आवेदक को विद्यालय प्रवेश नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र से पुष्टि करने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश जारी करे।
25. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प 7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11-5-2023 के अनुसार राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय प्रत्येक कार्मिक से निम्न आशय का शपथ पत्र भी लिया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे :-
- "मैं शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूँगा/रखूँगी, मैं भारत की प्रगुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूँगा/रखूँगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजगमित, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालना करूँगा/करूँगी। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)"

चूँकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी है, अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुये संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आदर्शक रूप से भिजवाएँ एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चरपा करेंगे।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर, एक प्रति संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

स्थिर पारिश्रमिक (कनिष्ठ सहायक 14,600/-रु. मासिक एवं सहायक कर्मचारी 12,400/- मासिक						
क्र. सं.	आवेदक का नाम, योग्यता व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम श्री/श्रीमती	संबंधित जिला	आवर्तित जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	राकेश सी.सै 11.01.2000	पुत्र	10-02-2023 कनिष्ठ सहायक	मांगीलाल अ. माशि	जोधपुर	जोधपुर
2	जयन्त गौतम सी.सै. 17.11.2005	पुत्र	18-10-2022 कनिष्ठ सहायक	भगवान प्रसाद शो.शि. माशि	जोधपुर	जोधपुर
3	हर्ष खारवाल सी.सै. 04.09.2004	पुत्र	10-12-2022 कनिष्ठ सहायक	संगीता चौहान अ.माशि	बाड़मेर	बाड़मेर
4	गुडडी कुमारी एम.ए. 15.10.1982	पत्नी	22-11-2022 कनिष्ठ सहायक	नाथुलाल खिंची व.अ. माशि	कोटा	कोटा
5	हेमलता एम.एम 10.12.1981	पत्नी	01-10-2022 कनिष्ठ सहायक	संतलाल व.अ माशि	झालावाड़	हनुमानगढ़
6	ओम कान्त गुर्जर बी.ए. 01.06.1992	पुत्र	09-12-2022 कनिष्ठ सहायक	समदेव गुर्जर अ. माशि	टोंक	टोंक
7	दिलशाद बानो बी.ए. 03.07.1999	पत्नी	22-09-2022 कनिष्ठ सहायक	मोहम्मद अकरम क.स. माशि	नागौर	नागौर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.08.07 17:29:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4464703



क्र. सं.	आवेदक का नाम, योग्यता व जन्मतिथि	भूतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	भूतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	संबंधित जिला	आवासीय जिला
1	2	3	4	5	6	7
8	तपेन्द्र कुमार सी.सै. 10.08.1992	पुत्र	13-11-2022 कनिष्ठ सहायक	झणकारी देवी चश्रेक माशि	नागौर	नागौर
9	अंजली भाटी बी.ए. 07.07.1984	पत्नी	05.08.2022 कनिष्ठ सहायक	डा. देवेन्द्र पंवार व.पशु चिकित्सा अ. क-2	नागौर	कोटा
10	सोनू कंवर राणावत सी.सै. 27.11.1987	विवाहित पुत्री	10-11-2021 कनिष्ठ सहायक	गंगासिंह राणावत सउनि. क-2	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
11	संजय पुनिया बी.ए. 10.08.1982	पुत्र	21.09. 2022 कनिष्ठ सहायक	भगवानी देवी चश्रेक माशि	चूरु	झुझुनू
12	हरीश सियाग सी.सै. 15.07.1997	पुत्र	01.02.2023 कनिष्ठ सहायक	ओमप्रकाश सियाग अ. माशि	चूरु	चूरु
13	पुनीश कटारा सी.सै. 15.10.1998	पुत्र	28-11-2022 कनिष्ठ सहायक	डालचन्द अ. माशि	भरतपुर	भरतपुर
14	विमल कुमार सी.सै. 01.06.1999	पुत्र	29-12-2022 कनिष्ठ सहायक	बासुदेव प्रसाद अ.माशि	धौलपुर	धौलपुर
15	रविन्द्रपाल सिंह सी.सै. 07.07.2003	पुत्र	01-10-2022 कनिष्ठ सहायक	राजेन्द्र सिंह कोच, माशि	बीकानेर	जोधपुर
16	मनदीप कौर एम.ए. 20.01.1983	पत्नी	18-10-2022 कनिष्ठ सहायक	प्रविन्द्र सिंह अ. माशि	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
17	राम श्री मीना साक्षर 20.04.1972	पत्नी	27-08-2019 च.श्रे.क	मोतीलाल मीना अ माशि	दौसा	दौसा
18	सोनू 11वीं 05.05.2006	पुत्र	11-10-2022 चश्रेक	विष्णुराम चश्रेक माशि	भरतपुर	भरतपुर
19	नरेन्द्र सिंह आठवीं 01.07.1995	पुत्र	11-05-2023 च.श्रे.क	खेतसिंह राजपुरोहित अ. माशि	जैसलमेर	जैसलमेर
20	पवनी देवी साक्षर 01.01.1984	पत्नी	05-05-2023 च.श्रे.क	तेजाराम परमार अ. माशि Signature valid	सिरोही	सिरोही

Digitally signed by Kana Ram
Designation / Director
Date: 2023.08.07 13:29:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4464703



क्र. सं.	आवेदक का नाम, योग्यता व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व श्री/श्रीमती	संबंधित जिला	आवृत्ति जिला
1	2	3	4	5	6	7
21	ललिता कक्षा 3 25.04.1976	पत्नी	10-11-2022 च.श्रे.क	लिखमाराम अ. माशि	नागीर	नागीर
22	पिन्दु बाई साक्षर 08.05.1993	पत्नी	21-07-2022 च.श्रे.क	लोकेश कुमार मीणा व अ माशि	बूंदी	बूंदी
23	सुमन यादव आठवी 15.10.1989	पत्नी	05.06.2023 च.श्रे.क	विजेन्द्र सिंह यादव च.श्रे.क माशि	सीकर	सीकर

नोट : क्र.सं. 2, 3, 10, 11, 18 व 22 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा दाखिल शिथिलन प्राप्त है।

(काना राम)

I.A.S

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

दिनांक :

07/08/2023

क्रमांक : शिविरा-माध्य/अनु.नियु./61217/नियुक्तिमूल/2023/161-165

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग
- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय.....को उल्लेखित.....अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए रिक्त पद के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित कर जारी आदेशों की प्रति एवं कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय का email dseanukampaniukti@gmail.com पर प्रेषित करते हुए हार्ड कॉपी भी प्रेषित करें।
- श्रीको देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय कार्यालय में देकर पावती प्राप्त करें।
- स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक)
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- रक्षित पत्रावली

निदेशक

Signature valid माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Digitally signed by Kana Ram

Designation : Director

Date: 2023.08.07 12:29:59 IST Page 5 of 5

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4464703

